पालनाघर अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु

विज्ञापन का प्रारूपः–

समहरणालय, कैमूर (भभुआ)।

(जिला प्रोग्राम शाखा, आई0सी0डी0एस0 सह जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, (DHEW) कार्यालय)

विज्ञापन संख्या– 01/25

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार पटना के पत्रांक–WCDC/1882/23, दिनांक–09.08.2023 द्वारा जिलान्तर्गत पालनाघर के संचालन हेतु कंडिका–10 एवं 11 के अनुरूप कर्मियों (श्रमबल) के चयन का निर्देश प्राप्त है।

पालनाघर के संचालन हेतु स्वीकृत श्रमबल का चयन जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के आलोक में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत पालनाघर के संचालन हेतु क्रेच वर्कर का एक पद एवं सहायक क्रेच वर्कर का एक पद सृजित किया गया है।

स्वीकृत पदों के लिए अर्हताएँ एवं नियोजन हेतु रिक्त पद निम्नवत होगीः–

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	योग्यता/अर्हताएं	मानदेय	अभ्युक्ति
1.	क्रेच वर्कर	01	स्नातक उत्तीर्ण। अनुभवः– बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/स्कूल/आँगनबाड़ी/प्ले स्कूल से संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव। उम्र–40 वर्ष। (महिला हेतु आरक्षित)	14,730/–	पद संविदा आधारित है।
2.	सहायक क्रेच वर्कर	01	बारहवीं पास अथवा इंटरमीडिएट। अनुभवः– बच्चों की देख–रेख से संबंधित कार्यनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। उम्र–40 वर्ष। (महिला हेतु आरक्षित)	11,640/–	पद संविदा आधारित है।

अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में ई–मेल आई0डी0– dhewkaimur1-bih@gov.in के माध्यम से दे सकेंगे।

चयन प्रक्रिया से संबंधित तिथियों की विवरणी निम्नवत है

आवेदन प्राप्त करने की तिथि– 22-02-2025 से 11-03-2025 तक

मेधा सूची का प्रकाशन जिला प्रोग्राम कार्यालय के सूचना पट्ट एवं NIC कैमूर (भभुआ) के वेबसाईट kaimur.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

आवेदन से संबंधित विभागीय प्रावधान NIC कैमूर (भभुआ) के वेबसाईट kaimur.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

पालनाघर अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)।

जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (DHEW), कार्यालय

विज्ञापन सं0:–01/25

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक–WCDC/1882/23, दिनांक:–09.08.2023 के आलोक में पालनाघर, समाहरणालय परिसर, कैमूर (भभुआ) के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से ओवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

क्र0 सं0	पद का नाम	योग्यता/अर्हताएं	पदों की संख्या	कोटि	आयु	मानदेय
1.	क्रेच वर्कर	स्नातक उत्तीर्ण। अनुभव:– बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/स्कूल/आँगनबाड़ी/प्ले स्कूल से संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव। उम्र–40 वर्ष। (महिला हेतु आरक्षित)	01	अनारक्षित	अधिकतम 40 वर्ष	14,730/–
2.	सहायक क्रेच वर्कर	बारहवीं पास अथवा इंटरमीडिएट। अनुभव:– बच्चों की देख–रेख से संबंधित कार्यनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। उम्र–40 वर्ष। (महिला हेतु आरक्षित)	01	अनारक्षित	अधिकतम 40 वर्ष	11,640/–

1. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
2. अभ्यर्थी को बिहार का अधिवास होना आवश्यक है।
3. उम्र सीमा:– संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नवत होगी।
   अनारक्षित वर्ग (महिला हेतु आरक्षित) –अधिकतम 40 वर्ष
4. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
5. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्त का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएगे न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे।
6. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।

7. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. सरकारी/अर्ध सरकारी अथवा गैर–सरकारी विभाग/सेस्थान/कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रामण–पत्र ही मान्य होगा।
9. क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर पदों पर नियोजन योजना आधारित अस्थायी प्रकृति का होगा।
10. नियोजन के समय उपलब्ध करायी सूचनाओं के गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।
11. मार्गदर्शिका में विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का नियोजन संविदा आधार पर 11 माह के लिए किया जायेगा तथा 11 माह की अवधि में प्रथम तीन माह परीक्ष्यमान अवधि होगी, इस अवधि में किए गए कार्य मूल्यांकन की समीक्षा संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। जिसके आधार पर संविदा के विस्तार संबंध में आवश्यक निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।
12. कर्मियों के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक ही उन्हें देय होगा। इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होगे।
13. सभी कार्यदिवसों एवं अवकाश की तिथि को कार्यालय खुलने की स्थिति में पालनाघर की सेवाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी पालनाघर में पदस्थापित कर्मियों की संयुक्त रूप से होगी
14. पालनाघर की गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेवारी कर्मियों की होगी। पालनाघर बच्चों से संबंधित जानकारी एवं बच्चों का फोटो किसी से भी साझा नहीं करेंगी।
15. पालनाघर में बच्चों को रखने के लिए कर्मियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुविधा एवं लाभ बच्चों के अभिभावकों से नहीं लिया जायेगा। इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।
16. निर्धारित योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित Email–ID एवं जिला के NIC वेबसाइट kaimur.nic.in पर दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।
17. विज्ञापन एवं सेवा शर्तो से संबंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के अधीन है। जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।

18. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक– 11-03-2025 तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए Email ID:- dhewkaimur1-bih@gov.in पर समर्पित करेंगे। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
19. एक से अधिक पदो के लिए अलग–अलग आवेदन मान्य होंगे।
20. अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखेंगे। कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।
21. अभ्यर्थी, विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से जिला NIC के kaimur.nic.in वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।

- **श्रम बल से संबंधित सामान्य दिशा–निर्देशः–**

1. स्वीकृत श्रमबलों के विरूद्ध रिक्त पदों पर चयन के लिए कम–से–कम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा ताकि किसी कर्मी द्वारा पद त्याग/निष्कासन की स्थिति में रिक्त पद पर अन्य वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्त किया जा सके। यह पैनल एक वर्ष की अवधि तक के लिए प्रभावी होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा पैनल की अवधि अगले 01 वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है।
2. सभी नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर किया जायेगा तथा नियुक्त कर्मियों को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा तक सीमित रहेगा।
3. कार्यरत कर्मियों के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाता में किया जायेगा।
4. पालनाघर के कर्मियों की कार्य अवधि का विस्तार उनके कार्य मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। कार्यमूल्यांकन हेतु नोडल विभाग द्वारा नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें 02 लाभुक माताएँ शामिल रहेंगी। समिति के अनुशंसा के आलोक में कर्मियों के अवधि विस्तार के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

- **क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर की सेवा शर्तेः–**

1. क्रेच वर्कर एवं क्रेच हेल्पर पदों पर नियोजन परियोजना आधारित अस्थायी प्रकृत्ति का होगा।
2. नियोजन के समय उपलब्ध करायी सूचनाओं के गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

3. मार्गदर्शिका में विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर 11 माह के लिए किया जायेगा तथा 11 माह की अवधि में प्रथम तीन माह परीक्ष्यमान अवधि होगी, इस अवधि में किए गए कार्य मूल्यांकन की समीक्षा संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसके आधार पर संविदा अवधि के विस्तार के संबंध में आवश्यक निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायेगा।
4. कर्मियों के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक ही उन्हें देय होगा, इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होगे।
5. सभी कार्यदिवसों एवं अवकाश की तिथि को कार्यालय खुलने की स्थिति में पालनाघर की सेवाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी पालनाघर के कर्मियों की संयुक्त रूप से होगी।
6. सरकारी अवकाश में पालनाघर खुले होने के स्थिति में पालनाघर में पदस्थापित कर्मियों को अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा।
7. पालनाघर की गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेवारी पालनाघर के कर्मियों की होगी। पालनाघर के बच्चों से संबंधित जानकारी एवं बच्चों का फोटो किसी से भी साझा नहीं करेंगी।
8. पालनाघर में बच्चों को रखने के लिए कर्मियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सुविधा एवं लाभ बच्चों के अभिभावको से नहीं लिया जायेगा। इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी।
9. पालनाघर में मौजूद बच्चों की सुरक्षा पालनाघर के कर्मियों की प्रथम प्राथमिकता होगी।
10. पालनाघर में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का हिंसा, दुर्व्यवहार इत्यादि क्षमाप्रार्थी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में कठोर कार्रवाई की जायेगी।

11.2.25

जिला पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

आवेदन–प्रपत्र

विज्ञापन संख्याः–..........................

अनुलग्नक–3

स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित पद का नामः ....
2. अभ्यर्थी का नामः ....
3. जन्म तिथि : ....
4. माता का नामः ....
5. पिता/पति का नामः ....
6. आधार कार्ड नंबरः ....
7. स्थायी आवास का पूरा पता (जिला के नाम के साथ): ....
....
8. पत्राचार का पताः ....
....

9. श्रेणीः सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अति पिछड़ा वर्ग ☐

अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐

10. मोबाईल नंबरः ....
11. ई–मेल आईडीः ....
12. शैक्षणिक विवरणीः–

क्र.सं.	शिक्षा	विषय	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
(i)	मैट्रिक					
(ii)	इंटर					
(iii)	स्नातक (प्रतिष्ठा का विषय)					
(iv)	स्नातकोत्तर					
(v)	पीएचडी/अन्य					
(vi)	कंप्यूटर योग्यता					
(vii)	व्यवसायिक प्रशिक्षण					
(viii)	अन्य					

13. कार्य अनुभव :–

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष/माह/दिन	कार्य विवरणी
(i)				
(ii)				
(iii)				

14. संलग्न किये गये कागजातों की सूची :–

(i)		(vi)	
(ii)		(vii)	
(iii)		(viii)	
(iv)		(ix)	
(v)		(x)	

घोषणाः–उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कभी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वंय जिम्मेवार रहूँगी एवं मेरे विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांकः–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner